Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

मयूर ध्वज सिंह बनाम **लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़**

किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)** नं0 **080** सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2022	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो बाद जांच पेश हुई। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी मयूरध्वज सिंह राणावत, निवासी 17–ए, श्रीराम बन्नासा विहार, धमोतर हाउस, अम्बामाता स्कीम, उदयपुर मोबाईल 9610330217 ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 16.09.2022 के संदर्भ में प्रस्तुत की है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। चिंतन–मनन किया। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/स्था./191 दिनांक 20.09.2022 से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र मय अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन शुल्क रुपये 10/– अक्षरे दस रुपये मात्र का भारतीय डाक आदेश संख्या **59F 226019** लौटाया गया एवं वांछित सूचना हेतु लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय) अति. जिला कलक्टर को आवेदन प्रस्तुत किये जाने निर्देश दिये गये। कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़ का उक्त पृष्ठांकन पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। चिंतन–मनन किया। अधिनियम की धारा 6(3) में प्रावधित किया गया है कि जहां कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकरी द्वारा धारित या जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है, वहां वह लोक प्राधिकारी जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा एवं ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा; परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन के प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़ को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय) अति. जिला कलक्टर को प्रस्तुत किये जाने के निर्देश के साथ मय आवेदन शुल्क के मूल ही लौटाया गया है जो कि अधिनियम 2005 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपीलार्थी के आवेदन पत्र अधिनियम 2005 के प्रावधानों के कार्यवाही नहीं की जाकर केवल मात्र खानापूर्ति किया जाना जाहिर होता है जो कि उचित नहीं है। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़ का उक्त कृत्य घोर निंदनीय/भर्त्सना योग्य है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी एडमिशन स्तर पर ही स्वीकार्य योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी को एडमिशन स्तर पर स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी का मूल आवेदन पत्र अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील विरूद्ध अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़ को एडमिशन स्तर पर स्वीकार किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं अपीलार्थी द्वारा अपील मेमो के साथ अधिनियम की धारा 6(1) के तहत मूल आवेदन पत्र मय आवेदन शुल्क भारतीय डाक आदेश संख्या **59F 226019** तादादी रूपये 10/– अक्षरे दस रूपये मात्र अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी/आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 16.09.2022 को दर्ज किया जाकर अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करावें एवं अन्य प्राधिकारी से सूचना वांछित होने पर लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़ स्वयं प्राप्त कर आगामी 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी/आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन शुल्क को नियमानुसार जमा करे एवं लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़ को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार किया जावें एवं इस बाबत अधीनस्थ कार्यालय स्टॉफ को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों बाबत् सुमचित दिशा–निर्देश जारी करना सुनिश्चित करावें एवं पालना प्रतिवेदन इस न्यायालय को आवश्यक रूप प्रेषित करावें। अहकाम की प्रतिलिपि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी मयूरध्वज सिंह राणावत, निवासी 17–ए, श्रीराम बन्नासा विहार, धमोतर हाउस, अम्बामाता स्कीम, उदयपुर मोबाईल 9610330217 को जरिये रजिस्टर्ड डाक के सूचनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें।

-S/D-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़
28.10.2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official